



संदर्भ सं.राबैं.पुनर्वित्त / 491/ए-1 (जन) / 2021-22

परिपत्र सं. 175 /पुनर्वित्त- 52 /2021

02 सितंबर 2021

प्रबंध निदेशक  
सभी राज्य सहकारी बैंक

महोदय

**मौसमी कृषि परिचालन (एसएओ) के वित्तपोषण के लिए राज्य सहकारी बैंकों को अल्पावधि (एसटी) पुनर्वित्त का प्रावधान - वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए नीति**

कृपया दिनांक 11 अगस्त 2020 का हमारा परिपत्र संख्या 218/डॉर-73/2020 देखें जिसके माध्यम से नाबार्ड अधिनियम, 1981 की धारा 21(1) के अंतर्गत वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) को मौसमी कृषि परिचालनों के वित्तपोषण के लिए पात्र जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) के लिए पुनर्वित्त के प्रावधान पर नाबार्ड की नीति संप्रेषित की गई थी. अब, हम आपको सूचित करते हैं कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अल्पावधि (एसएओ) नीति को अंतिम रूप दे दिया गया है और जिसका ब्यौरा अनुबंध I में दिया गया है.

2. राज्य सहकारी बैंकों को नाबार्ड पुनर्वित्त पर ब्याज दर 4.5% प्रति वर्ष होगी (भारत सरकार द्वारा परिवर्तन के अधीन, यदि कोई हो), यदि राज्य में अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना अपनी सहभागिता के साथ प्रति उधारकर्ता/किसान को 7% प्रतिवर्ष या उससे कम की दर से 3.00 लाख रुपये तक का फसल ऋण प्रदान करती है. बैंक को अनुबंध II के अनुसार इस संबंध में एक वचन-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है. एसटीसीबी/डीसीसीबी को केसीसी से संबंधित मासिक प्रगति की रिपोर्ट भी एन्श्योर पोर्टल पर देनी है.

**Provision of Short-Term (ST) refinance by NABARD to State Cooperative Banks for financing Seasonal Agricultural Operations (SAO) - Policy for F. Y. 2021-22**

Please refer to our Circular No.218 /DoR-73/2020 dated 11 August 2020 communicating NABARD's policy for F. Y. 2020-21 on provision of refinance under Sec. 21(1) of NABARD Act, 1981 to State Cooperative Banks (StCBs) in respect of eligible District Central Cooperative Banks (DCCBs) for financing Seasonal Agricultural Operations. We, now advise that the ST (SAO) Policy for F. Y. 2021-22 has been finalized and the details thereof are enumerated in the Annexure I.

2. The rate of interest on NABARD refinance to StCBs will be 4.5% p.a. (subject to change, if any, by Govt. of India) if the Short-Term Cooperative Credit structure in the State together with their own involvement provide crop loan up to Rs.3.00 lakh per borrower / farmer at 7% p.a. or less. The Bank is required to furnish an undertaking to this effect as per Annexure II. The StCB/DCCBs are also required to report the monthly progress with regard to KCCs on the ENSURE portal.

**राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक**

**National Bank for Agriculture and Rural Development**

पुनर्वित्त विभाग

प्लॉट क्र सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. टेली: +91 22 26539325 • फ़ैक्स: +91 22 26530090 • ई मेल: [dor@nabard.org](mailto:dor@nabard.org)

Department of Refinance

Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 • Tel.: +91 22 26539325 • Fax: +91 22 26530090 • E-mail: [dor@nabard.org](mailto:dor@nabard.org)

गाँव बढ़े >> तो देश बढ़े

[www.nabard.org](http://www.nabard.org)

Taking Rural India >>

<p>3. कृपया संबद्ध जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को सूचना दें कि वे उधार लेने वाले सदस्यों को रुपे कार्ड जारी करके केसीसी योजना के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करें.</p>	<p>3. Affiliated DCCBs may be advised to ensure implementation of KCC scheme by issuance of RuPay Card to the borrowing members.</p>
<p>4. वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए, आपके बैंक हेतु पुनर्वित्त आबंटन के बारे में हमारे क्षेत्रीय कार्यालय (आरओ) द्वारा आपको अलग से सूचित किया जाएगा. सभी पात्र 3 स्तरीय संरचना वाले जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की ओर से और 2 स्तरीय संरचना वाले राज्य सहकारी बैंक की ओर से आप समेकित ऋण सीमा की मंजूरी के लिए निर्धारित प्रोफार्मा में भरकर अपना आवेदन पहले आहरण के साथ नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत कर सकते हैं.</p>	<p>4. Refinance allocation for your bank for F. Y. 2021-22 will be communicated to you separately by our Regional Office (RO). You may submit an application for sanction of consolidated credit limit on behalf of all the eligible DCCBs in a 3 tier structure and the StCB in case of a 2 tier structure along with the first drawal, in the prescribed proforma to NABARD RO.</p>
<p>5. कृपया इस पत्र की प्राप्ति सूचना हमारे क्षेत्रीय कार्यालय को दें.</p>	<p>5. Please acknowledge receipt of this circular to our Regional Office.</p>

भवदीय

(एल आर रामचंद्रन)  
मुख्य महाप्रबंधक

संलग्न: यथोक्त

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

National Bank for Agriculture and Rural Development

पुनर्वित्त विभाग

प्लॉट क्र सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. टेली: +91 22 26539325 • फ़ैक्स: +91 22 26530090 • ई मेल: [dor@nabard.org](mailto:dor@nabard.org)

Department of Refinance

Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 • Tel.: +91 22 26539325 • Fax: +91 22 26530090 • E-mail: [dor@nabard.org](mailto:dor@nabard.org)

गाँव बढ़े >> तो देश बढ़े

[www.nabard.org](http://www.nabard.org)

Taking Rural India >> Forward

## अनुबंध- I

### मौसमी कृषि परिचालनों के वित्तपोषण के लिए नाबार्ड द्वारा राज्य सहकारी बैंकों को अल्पावधि पुनर्वित्त का प्रावधान - वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए नीति

#### **Provision of Short-Term refinance by NABARD to State Cooperative Banks for financing Seasonal Agricultural Operations - Policy for F. Y. 2021-22**

#### 1. अल्पावधि (मौ. प. कृ.) सीमा की परिचालन अवधि

##### **Operative period of ST (SAO) limit**

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अल्पावधि (मौसमी कृषि परिचालन) सीमा की परिचालन अवधि 01.04.2021 से 31.03.2022 तक होगी. केवल परिचालन अवधि के दौरान संवितरित फसल ऋण के लिए राज्य सहकारी बैंक को अल्पावधि (मौसमी कृषि परिचालन) पुनर्वित्त प्रदान किया जाएगा.

The operative period of ST (SAO) limit for F. Y. 2021-22 is 01.04.2021 to 31.03.2022. ST (SAO) refinance will be provided to the StCB in respect of crop loans disbursed only during the operative period.

#### 2. समेकित सीमा की मंजूरी **Sanction of consolidated limit**

क) अल्पावधि (मौसमी कृषि परिचालन) के अंतर्गत समेकित सीमा निम्नलिखित के लिए मंजूर की जाएगी:

A consolidated limit under ST (SAO) will be sanctioned to

i. 3 टीयर स्ट्रक्चर में पात्र जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की ओर से राज्य सहकारी बैंक.

StCB on behalf of eligible DCCBs in 3 tier structure.

ii. 2 टीयर स्ट्रक्चर के मामले में या कमजोर जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (जो पैक्स का वित्तपोषण करने की स्थिति में नहीं हैं) के मामले में पात्र राज्य सहकारी बैंक.

Eligible StCB in case of 2 tier structure or in case of weak DCCBs (which are not in a position to finance PACS).

ख) राज्य सहकारी बैंक को यह ऋण सीमा नाबार्ड अधिनियम, 1981 की धारा 21 (4) के साथ पठित धारा 21 (1) (i) के अंतर्गत रास बैंक द्वारा निष्पादित डीपीएन के समक्ष मंजूर की जाएगी.

The limit will be sanctioned to StCB under **Sec. 21(1) (i)** read with **Sec. 21(4)** of the NABARD Act, 1981 against DPN executed by StCB

ग) राज्य सहकारी बैंक को प्रत्येक आहरण के समय लिखित रूप में यह घोषणा करनी है कि प्रस्तावित आहरण और पहले से प्राप्त पुनर्वित्त (मौसमी कृषि परिचालनों) के वित्तपोषण के लिए राज्य सहकारी बैंक द्वारा 3 टीयर स्ट्रक्चर में पात्र जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को/2 टीयर स्ट्रक्चर में राज्य सहकारी बैंक की शाखाओं को प्रदान किए गए ऋणों के समक्ष है और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक के स्तर पर पैक्स के समक्ष बकाया पर्याप्त अनतिदेय ऋणों से कवर किए गए हैं. बैंकों को नाबार्ड को नियमित आधार पर भौतिक रूप में या डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से एनओडीसी विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है.

StCB has to declare in writing, at the time of each drawal that the drawal preferred and the refinance already availed are against the loans provided by StCB to eligible DCCBs in 3 tier structure /StCB in 2 tier structure for financing SAO and are covered by adequate non-overdue loans outstanding at DCCB/StCB level against PACS. Banks are required to submit NODC statement to NABARD regularly either in physical form or through digitized platform.

घ) राज्य सहकारी बैंक के पक्ष में जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों द्वारा निष्पादित टीपीएन नाबार्ड के पक्ष में परांकित करना जारी रहेगा और राज्य सहकारी बैंक परांकित टीपीएन को नाबार्ड के एजेंट के रूप में अपने पास रखेगा .

TPNs executed by DCCBs in favour of StCB will continue to be endorsed in favour of NABARD and StCB will keep the endorsed TPNs with them as agent of NABARD.

### **3. राज्य सहकारी बैंक/मध्यवर्ती सहकारी बैंक के लिए पात्रता मानदंड**

#### **Eligibility norms for StCB / CCBs**

#### **3.1 लेखा परीक्षा Audit**

वर्ष 2019-20 के लिए राज्य सहकारी बैंक/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की लेखा परीक्षा पूरी हो जानी चाहिए और वित्तीय विवरणों के साथ संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट नाबार्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्राप्त हो चुकी हो. इसके अलावा, 31.03.2021 तक राज्य सहकारी बैंक की लेखा परीक्षा पूरी हो चुकी हो और 30.09.2021 तक रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी हो. 01.10.2021 को या उसके बाद, केवल उन्हीं राज्य सहकारी बैंकों को उन जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के समक्ष मंजूरी और आहरण की अनुमति दी जाएगी, जिन्होंने वर्ष 2020-21 के लिए लेखा परीक्षा पूरी कर ली है और संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट नाबार्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत कर दी है.

Audit of StCB / DCCBs for the year 2019-20 should have been completed and the relative audit reports along with financial statements should have been received by the concerned Regional Office of NABARD. Further, the audit of State Cooperative Banks as on 31.03.2021 should be completed and the report submitted by 30.09.2021. Sanction and drawals on or after 01.10.2021 will be permitted only to such StCBs and against those DCCBs, which have completed the audit and submitted the relevant audit report to the concerned RO of NABARD.

#### **3.2 लाइसेंसिंग और सीआरएआर मानदंडों का अनुपालन**

#### **Compliance with licensing and CRAR norms**

सभी लाइसेंस प्राप्त राज्य सहकारी बैंक (अनुसूचित/ गैर-अनुसूचित) और लाइसेंस प्राप्त मध्यवर्ती सहकारी बैंक जो सीआरएआर की नीचे दी गई शर्तों को पूरा करते हैं, वे अल्पावधि (मौसमी कृषि परिचालन) के अंतर्गत पुनर्वित्त के लिए पात्र होंगे.

All licensed StCBs (Scheduled / Non Scheduled) and licensed CCBs fulfilling CRAR conditions mentioned below will be eligible for refinance under ST (SAO).

### **3.3 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों और संबद्ध मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के लिए सीमाएं**

#### **Limits to scheduled StCBs and affiliated CCBs**

**3.3.1** 31.03.2020 की स्थिति में, केवल 9% और उससे अधिक के सीआरएआर वाले राज्य सहकारी बैंक/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक ही ऋण सीमा की मंजूरी के लिए पात्र होंगे.

StCBs / DCCBs having CRAR of 9% and above only (as on 31.03.2020), will be eligible for sanction of credit limit.

**3.3.2** यदि राज्य सहकारी बैंक का सीआरएआर 9% और उससे अधिक है किन्तु किसी एकल मध्यवर्ती सहकारी बैंक का सीआरएआर 9% से कम है तो ऐसे मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के लिए कोई ऋण सीमा उपलब्ध नहीं होगी.

In case of StCBs with CRAR of 9% and above but individual CCBs with less than 9%, no credit limit will be available on behalf of such CCBs.

**3.3.3** 9% से कम सीआरएआर वाले राज्य सहकारी बैंकों और 9% से अधिक सीआरएआर वाले मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के मामले में, सरकारी गारंटी या सरकार द्वारा अनुमोदित प्रतिभूतियों/ अनुसूचित बैंकों की सावधि जमा रसीदों को गिरवी रखने पर मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को सीधे ऋण सीमा मंजूर की जाएगी. मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को प्रत्यक्ष पुनर्वित्त प्रदान करने के संबंध में दिनांक 09.09.2011 के हमारे परिपत्र संख्या 172 द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करें.

In case of StCBs with CRAR less than 9% and CCBs with CRAR of 9% and above, credit limit will be sanctioned directly to the CCBs against Government guarantee or against pledge of Govt. approved securities / FDRs of Scheduled Banks. In case of providing direct refinance to CCBs, guidelines issued vide our circular No. 172 dated 09.09.2011 may be followed.

**3.4** उपर्युक्त सीआरएआर मानदंडों को पूरा करने वाले गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक नाबार्ड अधिनियम, 1981 की धारा 21(3)(ए) के अधीन सरकार गारंटी अथवा उक्त अधिनियम की धारा 21(2)(i) के अधीन सकरी/अनुमोदित प्रतिभूतियों की गिरवी और/अथवा उक्त अधिनियम की धारा 33 अधीन अनुसूचित बैंकों की मीयादी जमा रसीदों की गिरवी के समक्ष ऋण सीमाओं की मंजूरी के लिए पात्र होंगे.

Non-scheduled StCBs which fulfill the CRAR criteria as stated above, will be eligible for sanction of credit limits against Government guarantee under Sec. 21(3)(a) of NABARD Act, 1981 or pledge of Govt. / approved securities under Sec. 21(2)(i) of Act ibid and / or pledge of FDRs of Scheduled Banks under Sec. 33 of Act ibid.

### 3.5 अनर्जक आस्तियों के लिए मानदंड NPA Norm

अन्य बातों के साथ साथ, पुनर्वित्त की पात्रता 31.03.2020 की स्थिति में राज्य सहकारी बैंकों की निवल एनपीए की स्थिति पर आधारित होगी. जिन बैंकों का निवल एनपीए, निवल ऋणों और बकाया अग्रिमों के 12% से अधिक नहीं है, वे पुनर्वित्त के लिए पात्र होंगे. पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित राज्य सहकारी बैंकों के लिए निवल एनपीए मानदंडों में छूट प्रदान की गई है और इसे निवल ऋण और बकाया अग्रिम का 15% कर दिया गया है.

The eligibility, among other things, will be based on the net NPA position of StCBs as on 31.03.2020. The Banks with Net NPAs not exceeding 12% of net loans and advances outstanding will be eligible for refinance. Net NPA criteria for StCBs in the North Eastern Region, Jammu & Kashmir, Sikkim, Himachal Pradesh, Uttarakhand and Andaman & Nicobar Islands has been relaxed to 15% of net loans and advances outstanding.

**3.5.1** 01 अप्रैल 2021 से 30 सितंबर 2021 के दौरान पात्रता मानदंडों का निर्धारण 31.03.2020 या 31.03.2021 (यदि 31.03.2021 को लेखा परीक्षित स्थिति उपलब्ध है) के अनुसार उनकी लेखापरीक्षित वित्तीय स्थिति के अनुसार किया जाएगा. 01 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक के लिए पात्रता मानदंडों का निर्धारण 31.03.2021 को उनकी लेखा परीक्षित वित्तीय स्थिति के अनुसार किया जाएगा. 01.10.2021 को या उसके बाद पुनर्वित्त की स्वीकृति और आहरण की अनुमति केवल उन्हीं राज्य सहकारी बैंकों/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को दी जाएगी, जिन्होंने अपनी लेखापरीक्षा पूरी कर ली है और नाबार्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है.

Eligibility criteria during 01 April 2021 to 30 September 2021 will be based on their audited financial position as on 31.03.2020 or 31.03.2021 (if audited position as on 31.03.2021 is available). From 01<sup>st</sup> October 2021 to 31<sup>st</sup> March 2022, eligibility criteria will be based on their audited financial position as on 31.03.2021. Sanction and Drawals on or after 01.10.2021 will be permitted only to such StCBs/DCCBs, which have completed the audit and submitted the relevant audit report to the concerned RO of NABARD.

**3.5.2** सांविधिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इंगित सीआरएआर और एनपीए की स्थिति पात्रता का आधार बनेगी. हालांकि, लेखापरीक्षा रिपोर्ट और नाबार्ड की निरीक्षण रिपोर्ट के बीच किसी भी भिन्नता की स्थिति में, पात्रता निर्धारित करने के लिए नाबार्ड की निरीक्षण रिपोर्ट को आधार माना जाएगा. बैंक के नियंत्रण से परे किसी भी कारण से यदि बैंक पात्रता मानदंडों को पूरा करने में असमर्थ है, तो नाबार्ड पर्याप्त सुविधा/प्रतिभूति के साथ कमतर पात्रता मानदंडों पर विचार कर सकता है.

CRAR and NPA position as indicated in the statutory audit report will form the basis of eligibility. However, in the event of any variation between the audit report and NABARD's Statutory Inspection Report, the latter will be reckoned for determining the eligibility. In case of any reason beyond the control of the Bank, the bank is unable to fulfil the eligibility criteria, NABARD may consider a lower eligibility norms, with adequate comforts/ security.

**3.5.3** राज्य सहकारी बैंक की पात्रता के उद्देश्य से निवल एनपीए स्थिति की गणना, राज्य सहकारी बैंक की शाखाओं के स्तर पर न करते हुए राज्य सहकारी बैंक के स्तर पर की जाएगी. पात्रता के उद्देश्य से, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को सीधे पुनर्वित्त प्रदान करने के मामले में भी, निवल एनपीए स्थिति की गणना जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के स्तर पर ही की जाएगी न कि जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की शाखाओं के स्तर पर.

The net NPA position at StCB level and not at the level of StCB branches will be reckoned for the purpose of eligibility of StCB. In case of providing direct refinance to DCCBs, net NPA position at DCCB level and not at the level of DCCB branches will be reckoned for the purpose of eligibility.

#### 4. पुनर्वित्त की मात्रा Quantum of refinance

##### 4.1 पुनर्वित्त की सामान्य मात्रा निम्नानुसार रहेगी:

The normal quantum of refinance will be as under:

<p style="text-align: center;"><b>एसटीसीबी का निवल एनपीए</b> <b>Net NPAs of StCB</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>पात्र सीमा Eligible limit</b> [पात्र मध्यवर्ती सहकारी बैंकों/राज्य सहकारी बैंकों के वास्तविक ऋण कार्यक्रम (आरएलपी) के प्रतिशत के रूप में] As a percentage of realistic lending program (RLP) of eligible CCBs/StCB]</p>
<p>6% तक Up to 6%</p>	<p style="text-align: center;">40%</p>
<p>6% से ऊपर और 10% तक Above 6% &amp; up to 10%</p>	<p style="text-align: center;">35%</p>
<p>10% से ऊपर और 12% तक Above 10% &amp; up to 12%</p>	<p style="text-align: center;">30%</p>
<p>12% से ऊपर Above 12%</p>	<p style="text-align: center;">पात्र नहीं Not eligible</p>

**4.2** पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में राज्य सहकारी बैंक निवल एनपीए में छूट के साथ 20% के अतिरिक्त पुनर्वित्त के लिए निम्नानुसार पात्र होंगे:

StCBs in the North Eastern Region, Jammu & Kashmir, Sikkim, Himachal Pradesh, Uttarakhand and Andaman & Nicobar Islands, will be eligible for additional refinance of 20% with relaxation in net NPAs, as under:

<p style="text-align: center;"><b>एसटीसीबी का निवल एनपीए</b> <b>Net NPAs of StCB</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>पात्र सीमा Eligible limit</b> [पात्र मध्यवर्ती सहकारी बैंकों/राज्य सहकारी बैंकों के वास्तविक ऋण कार्यक्रम (आरएलपी) के प्रतिशत के रूप में] As a percentage of realistic lending program (RLP) of eligible CCBs/StCB]</p>
<p>10% तक Up to 10%</p>	<p style="text-align: center;">60%</p>
<p>10% से ऊपर और 15% तक Above 10% &amp; up to 15%</p>	<p style="text-align: center;">55%</p>
<p>15% से ऊपर Above 15%</p>	<p style="text-align: center;">पात्र नहीं Not eligible</p>

**4.3** पूर्वी क्षेत्र अर्थात् बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ राज्यों और पूर्वी उत्तर प्रदेश के 28 जिलों (भारत सरकार की बीजीआरईआई योजना के तहत) में राज्य सहकारी बैंक पुनर्वित्त की लागू सामान्य मात्रा से 5% अधिक अतिरिक्त पुनर्वित्त के लिए निम्नानुसार पात्र होंगे:

StCBs in Eastern Region viz. Bihar, Orissa, West Bengal, Jharkhand, Chhattisgarh States and 28 districts in Eastern Uttar Pradesh (under BGREI scheme of Govt. of India) will be eligible for additional refinance of 5% over and above the applicable normal quantum of refinance, as under:

<p style="text-align: center;"><b>एसटीसीबी का निवल एनपीए</b> <b>Net NPAs of StCB</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>पात्र सीमा Eligible limit</b> [पात्र मध्यवर्ती सहकारी बैंकों/राज्य सहकारी बैंकों के वास्तविक ऋण कार्यक्रम (आरएलपी) के प्रतिशत के रूप में] As a percentage of realistic lending program (RLP) of eligible CCBs/StCB]</p>
<p>6% तक Up to 6%</p>	<p style="text-align: center;">45%</p>
<p>6% से ऊपर और 10% तक Above 6% &amp; up to 10%</p>	<p style="text-align: center;">40%</p>
<p>10% से ऊपर और 15% तक Above 10% &amp; up to 15%</p>	<p style="text-align: center;">35%</p>
<p>15% से ऊपर Above 15%</p>	<p style="text-align: center;"><b>पात्र नहीं</b> Not eligible</p>

**4.4** वर्ष 2021-22 के लिए वास्तविक ऋण कार्यक्रम (आरएलपी) की गणना पिछले तीन वर्षों के दौरान संवितरित फसल ऋण में हुई औसत वृद्धि दर (पिछले चार वर्षों में संवितरित फसल ऋणों के आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए) के आधार पर की जा सकती है. हालांकि, जमीनी स्तर की



वास्तविकताओं और अन्य तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, यदि कोई हो, नाबार्ड ऐसे आरएलपी को स्वीकार कर सकता है जो राज्य सहकारी बैंक द्वारा निर्धारित आरएलपी से कम या अधिक हो.

The RLP for the year 2021-22 may be arrived at, on the basis of average growth rate in crop loans disbursed during previous three years (taking into account the crop loans disbursed data for last four years). However, keeping in view the ground level realities and other facts, if any, NABARD may accept RLP which may be lower or higher than the RLP worked out by the StCB.

#### **5. उप-सीमाओं की मंजूरी Sanction of sub-limits**

वित्तीय वर्ष के दौरान नाबार्ड द्वारा अल्पावधि (मौ.कृ.प.) ऋण-सीमा के अंतर्गत, नीचे दी गई गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए अलग उप-सीमा मंजूर की जाएगी:

Separate sub-limits under ST (SAO) credit limits for financing will be sanctioned by NABARD for the year 2021-22 for the following:

(क) अन्य फसलों की खेती (ओसी) cultivation of other crops (OC).

(ख) चिन्हित जिलों में राष्ट्रीय तिलहन और पाम ऑयल मिशन (एनएमओओपी- तिलहन) के अंतर्गत तिलहन की खेती,

cultivation of oilseeds under National Mission on Oilseeds and Oil Palms (NMOOP - Oilseeds) in the identified districts

(ग) चिन्हित जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत दलहन की खेती - दलहन (एनएफएसएम - दलहन) और

cultivation of pulses under National Food Security Mission - Pulses (NFSM - Pulses) in the identified districts and

(घ) जनजातीय समुदाय विकास (डीटीपी) के तहत जनजातीय वर्ग की उत्पादन संबंधी ऋण आवश्यकताएं.

production credit requirements of tribals under Development of Tribal Population (DTP).

तदनुसार, राज्य सहकारी बैंक को मंजूर की जाने वाली समेकित सीमा को संबंधित उद्देश्यों के लिए मध्यवर्ती सहकारी बैंकवार वास्तविक ऋण कार्यक्रम के आधार पर एसएओ-ओसी, एसएओ-एनएमओओपी, एसएओ-एनएफएसएम (दलहन) और एसएओ-डीटीपी के लिए उप-सीमा में बांटा किया जाएगा.

Accordingly, consolidated limit to be sanctioned to StCB will be segregated into sub-limits for SAO-OC, SAO-NMOOP, SAO-NFSM (Pulses) and SAO-DTP on the basis of CCB-wise Realistic Lending Program for respective purposes.

## 6. पुनर्वित्त पर ब्याज की दर **Rate of interest on Refinance**

**6.1** वर्ष 2021-22 के दौरान, पुनर्वित्त पर ब्याज की दर 4.5% प्रति वर्ष होगी जो भारत सरकार द्वारा किए जाने वाले किसी भी संशोधनों के अधीन, होगी. ब्याज की यह दर 01.04.2021 से आहरित पुनर्वित्त पर लागू होगी. ब्याज पहले की तरह 01 अक्टूबर और 01 अप्रैल को छमाही अंतराल पर देय होगा. **बैंक को इस संबंध में अनुबंध के अनुसार वचनपत्र प्रस्तुत करना होगा.**

The rate of interest on refinance will be 4.5% p.a. during F. Y. 2021-22, subject to revision, if any, by Govt. of India. This will be applicable to refinance drawn 01.04.2021 onwards. Interest is payable at half-yearly rests on 01 October and 01 April, as hitherto. **The Bank is required to furnish undertaking as per the Annexure in this regard.**

**6.2** रियायती पुनर्वित्त केवल उन्हीं राज्य सहकारी बैंकों को उपलब्ध होगा जो अपनी सहभागिता सहित राज्य की अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना द्वारा प्रति उधारकर्ता रु.3.00 लाख तक के फ़सली ऋण 7% प्रति वर्ष अथवा इससे कम दर पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के लिए सहमत हैं.

The concessional refinance will be available only to those State Cooperative Banks which together with their own involvement, agree to ensure the provision of crop loans up to Rs. 3.00 lakh per borrower at 7% p.a. or less by the short-term cooperative credit structure in the State.

## 7. परिचालनात्मक अनुशासन **Operational discipline**

### 7.1 आहरण और चुकौती **Drawal and Repayment**

ऋण-सीमा के समक्ष आहरित राशि मांग करने पर चुकानी होगी है. तथापि, ऋण-सीमा पर प्रत्येक आहरण को एक अलग ऋण के रूप में माना जाएगा और जिसे आम तौर पर आहरण की तारीख से 12 महीने की अवधि में चुकाया जाएगा. नाबार्ड द्वारा 12 महीने की समाप्ति से पहले चुकौती (पूर्ण अथवा आंशिक रूप से) न्यूनतम 15 कार्य-दिवसों के नोटिस या **मूलधन के साथ 15 दिनों के ब्याज भुगतान के साथ** स्वीकार किया जा सकती है. तथापि, यदि आहरण की तिथि से 30 दिन के बाद चुकौती की जाती है तो नोटिस अवधि में छूट दी जा सकती है.

The amount drawn against the limit are repayable on demand. However, each drawal on the credit limit would be treated as a separate loan and would normally be repayable in a period of 12 months from the date of drawal. Repayments (partial or full) before the expiry of 12 months may be accepted by NABARD with minimum notice of 15 working days **or with interest payment of 15 days along with the principal.** The notice period may, however, be waived in case the repayment is made 30 days after the date of drawal.

## 7.2 अनतिदेय कवर NODC

पूर्व की भांति स्वीकृत सीमा पर नाबार्ड द्वारा राज्य सहकारी बैंक को पात्र मध्यवर्ती सहकारी बैंकों, जिन पर राज्य सहकारी बैंक के उधार बकाया हैं, के संबंध में समग्र अनतिदेय कवर (सभी उप-सीमाओं के तहत उपलब्ध) के आधार पर आहरण की अनुमति दी जाएगी. तथापि बैंकों को अनतिदेय कवर का अनुप्रवर्तन उप-सीमा वार करना होगा, किन्तु किसी उप-सीमा में अनतिदेय कवर में कमी होने के मामले में, यदि समग्र रूप से अनतिदेय कवर उपलब्ध है, तो कोई अतिरिक्त ब्याज प्रभारित नहीं किया जाएगा. राज्य सहकारी बैंकों को मध्यवर्ती सहकारी बैंकवार स्थिति को दर्शाते हुए मासिक रूप से अनतिदेय कवर विवरण आगामी माह की 20 तारीख तक भौतिक अथवा डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भेजना होगा.

Drawals on the sanctioned limit will be permitted by NABARD to StCB on the basis of aggregate NODC (available under all sub-limits) pertaining to the eligible CCBs, which have outstanding borrowings from StCB as hitherto. The banks are required to monitor NODC sub-limit wise, however in case of shortfall in NODC in any of the sub-limits, additional interest may not be charged if overall NODC is available. **The StCB will have to submit monthly NODC statement indicating CCB-wise position by 20<sup>th</sup> of the succeeding month** physically or through digital platform.

प्रत्येक आहरण के समय, आहरण की तिथि को, कुल अनतिदेय कवर की उपलब्धता के संबंध में बैंक को निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा. इसके अलावा, बैंकों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी दिन, कुल सामान्य अल्पावधि (मौ.कृ.प.) बकाया और अतिरिक्त अल्पावधि (मौ.कृ.प.) बकाया उस तारीख को उपलब्ध कुल अनतिदेय कवर से अधिक न हों.

At the time of each drawal, a certificate in the prescribed format, regarding the availability of aggregate NODC, as on the date of drawal will have to be furnished by the bank. Moreover, it may be ensured by the bank that on any day, total of normal ST (SAO) outstanding and the Additional ST (SAO) outstanding should not exceed the aggregate NODC available on that date.

## 7.3 अनतिदेय कवर में कमी होने पर अतिरिक्त ब्याज Additional interest on NODC deficit

राज्य सहकारी बैंक को अनतिदेय कवर में कमी को, यदि कोई हो, पूरा करना होगा. यदि राज्य सहकारी बैंक ऐसी कमी को एक महीने के भीतर पूरा करने में विफल होता है, तो संबंधित राज्य सहकारी बैंक को इस तरह की कमी के होने की तारीख से अनतिदेय कवर में कमी की राशि पर, कमी की अवधि के लिए 1% का अतिरिक्त ब्याज कमी के पूरा होने की तिथि तक देना होगा.

In case of deficit in NODC, StCB will have to make good the deficit in NODC. In case the StCB fails to make good the deficit within one month from the date of occurrence of such deficit, additional interest @ 1% p.a. will be charged on the deficit in NODC for the duration of deficit i.e. till the date on which the amount of deficit is regularized.

## 7.4 बकाया ऋण में मूलधन और ब्याज को अलग-अलग रखना

### Segregation of principal and interest in the loans outstanding

राज्य सहकारी बैंक बकाया राशि में से ब्याज घटक (अतिदेय/अनतिदेय ब्याज) को अलग रखें और नाबार्ड से पुनर्वित्त सहायता की पात्रता तय करने के लिए, ऋण-सीमा और आहरण आवेदन दोनों के लिए अपने आवेदनों में केवल मूल ऋण राशि का उल्लेख करें। इसी प्रकार, मासिक अनतिदेय कवर विवरणों में ऋण के केवल मूलधन के अंश (जारी, वसूली गई राशि, बकाया और अतिदेय) की सूचना दी जाए.

StCB may exclude the interest component (overdue/ non-overdue interest) from the outstanding amount and report the principal loan amount only, both in their applications for credit limit and drawal application, for arriving at the eligibility for refinance support from NABARD. Besides, only the principal portion of loans (issued, recovered, outstanding and overdues) should be reported in the monthly NODC statements.

## 7.5 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों द्वारा राज्य सहकारी बैंकों के प्रति चूक

### Defaults by DCCBs to StCB

यदि अल्पावधि (मौसमी कृषि परिचालन) के अंतर्गत कोई जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक लगातार 3 महीने से अधिक की अवधि के लिए राज्य सहकारी बैंक के प्रति चूक करता है, तो संबंधित राज्य सहकारी बैंक को उस जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक की सीमा को परिचालित करने की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी, जब तक कि चूक को दूर न किया जाए.

In case a DCCB is in default to the StCB under ST (SAO) continuously for a period exceeding 3 months, the StCB concerned will not be allowed to operate on the limit in respect of the DCCB concerned till the default is regularized.

## 7.6 चूक को दूर करना Clearance of default

जो राज्य सहकारी बैंक निर्धारित देय तिथियों तक मूलधन, ब्याज और/या किसी अन्य देय राशि के भुगतान में नाबार्ड के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन करने में विफल रहते हैं, वे उस चूक के दूर होने तक नाबार्ड से किसी भी पुनर्वित्त सुविधा के लिए पात्र **नहीं** होंगे. मूलधन के पुनर्भुगतान और/या ब्याज के भुगतान में चूक की स्थिति में, बैंक चूक की स्थिति में नाबार्ड को **10% प्रति वर्ष** की दर से चूक की अवधि के लिए ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और यह राशि चूक की अवधि तक देय होगी. दंडात्मक ब्याज दरें समय-समय पर संशोधन के अधीन हैं.

StCBs which fail to honour their commitments to NABARD in repayment of principal, payment of interest and / or any other dues by the prescribed due dates, will **not** be eligible for any refinance facility from NABARD till the clearance of default in question. In the event of default in repayment of principal and /or payment of interest, the StCB will be liable to pay to NABARD interest on amount of default **at 10% p.a.** for the period for which the default persists. The penal interest rates are subject to revision from time to time.

### 7.7 निरीक्षण का अधिकार **Right to inspection**

नाबार्ड बैंक (राज्य सहकारी बैंक/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक) के बही-खातों का निरीक्षण करने/करवाने का अधिकार सुरक्षित रखता है.

NABARD reserves the right to inspect / get inspected the books of accounts of the bank (StCB / eligible DCCBs).

### 7.8 विशेष लेखा परीक्षा करवाने का अधिकार **Right to cause special audit**

नाबार्ड के पास स्वयं या अन्य एजेंसियों के माध्यम से सहकारी बैंकों (राज्य सहकारी बैंक/पात्र जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों) के खातों और अन्य प्रासंगिक सामग्री की विशेष लेखा परीक्षा कराने का अधिकार होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैंक द्वारा खातों और अन्य प्रासंगिक सामग्री को नियम और विनियमों के अनुसार बनाए रखा जाता है और पुनर्वित्त के नियमों और शर्तों का पालन किया जाता है.

NABARD will have the right to cause special audit of the books of accounts and other relevant material of the Cooperative Banks (StCB / eligible DCCBs) either by itself or through other agencies to ensure that the same are maintained as per the rules and regulations in force and the terms and conditions of refinance are adhered to by the bank.

### 7.9 अधिक आहरण **Excess drawal**

फसल ऋण संवितरण या एनओडीसी के बारे में गलत डेटा की रिपोर्टिंग के कारण पुनर्वित्त की अनुमेय सीमा से अधिक आहरण के मामले पर नाबार्ड गंभीरता से विचार करेगा. ऐसे मामलों में, नाबार्ड बैंक द्वारा लिए गए अतिरिक्त पुनर्वित्त को 3 दिनों के भीतर 1% प्रति वर्ष के दंडात्मक ब्याज के साथ वापस माँग सकता है.

NABARD will take a serious view in case of avilment of drawals beyond permissible quantum of refinance on account of reporting of incorrect data about crop loan disbursement or of NODC by calling back the excess refinance availed by the bank within 3 days along with the penal interest of 1% p.a.

## 8. सीमा का अंतिम-उपयोग **End-use of limit**

निधियों में परिवर्तन, ब्याज सहायता/फसल ऋण के दुरुपयोग को टालने और स्वीकृत प्रयोजन के लिए निधियों के उचित अंतिम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए बैंकों को सूचित किया गया है कि वे दिनांक 20 अगस्त 2015 के हमारे परिपत्र सं. 175/डॉर-47/2015 में निहित निर्देशों का पालन करें और यह सुनिश्चित करें कि इन निर्देशों का अनुपालन किया जाता है.

With a view to avoid diversion of funds, misutilization of interest subvention / crop loan and to ensure proper end use of funds for the purpose sanctioned, banks have been advised to follow the instructions contained in our Circular No. 175 / DoR-47 / 2015 dated 20 August 2015 which should be complied with.

## 9. विवरणियाँ Returns

एसटीआरआरसी के दिशानिर्देशों के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मांगी गई निधि की जानकारी संबंधित तिमाही के पूरा होने के बाद 07 दिनों के भीतर संलग्न निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक-III) में तिमाही आधार पर नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत की जाए.

As per the guidelines of STCRC fund information sought by RBI may be furnished on quarterly basis to the regional office of NABARD in the annexure-III attached herewith within 7 days after completion of the respective quarter.

## अनुबंध II

राज्य सहकारी बैंकों से उनके लेटरहेड पर लिया जाने वाला वचन-पत्र

### UNDERTAKING TO BE OBTAINED FROM StCBs ON THEIR LETTERHEAD

मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक  
नाबार्ड

----- क्षेत्रीय कार्यालय  
----- .

The Chief General Manager / General Manager  
NABARD  
Regional Office

प्रिय महोदय Dear Sir,

हमें यह विदित है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान अल्पावधि (मौ.कृ.प.) के लिए नाबार्ड द्वारा प्रदान की गई पुनर्वित्त पर ब्याज दर 4.5% प्रति वर्ष है जो भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड द्वारा समय-समय पर परिवर्तन, यदि कोई हो, के अधीन है. हमें यह भी विदित है कि भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई ब्याज सहायता की सुविधा भी समय-समय पर परिवर्तन के अधीन है.

We are aware that the rate of interest on refinance provided by NABARD for ST (SAO) during the F.Y. 2021-22 is 4.5% p.a. subject to change, if any, by Govt. of India / Reserve Bank of India / NABARD from time to time. We are also aware that the facility of interest subvention made available by Government of India, is also subject to change from time to time.

हम समय-समय पर भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड द्वारा किए गए परिवर्तनों, यदि कोई हो, का पालन करेंगे.

We undertake to abide by the change/s, if any, as may be made by the Govt. of India / Reserve Bank of India / NABARD from time to time.

सधन्यवाद, **Thanking you,**

आपका विश्वासी, **Yours faithfully**

नाम **Name:** -----

पदनाम **Designation:** मुख्य कार्यपालक अधिकारी/प्रबंध निदेशक/महाप्रबंधक C.E.O./M.D./G.M.

दिनांक **Date:** -----

अनुबंध -III

30 सितंबर/31 दिसंबर/31 मार्च को समाप्त तिमाही

Quarter ended as on 30 Sept/31 December/31 March

राज्य State	बैंक का नाम Name of the Bank	औसत ऋण राशि (रु. लाख में) Average amount of loan (Rs. In lakh)	प्रभारित ब्याज दर (%) Interest rate charged (%)	प्रभारित प्रसंस्करण शुल्क (रुपए) Processing fees charged (Rupees)

\*\*\*\*\*